

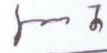
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-303) अलेसे-I/721

दिनांक:- 18/12/19

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I (लिंक नं0 2954), कार्यालय-आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना करते हुए राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 7 नवम्बर 2019, जिल्द-71, अंक-32, पृष्ठ-2643 में बन्धपत्र प्रकाशित होने तथा नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्करण में दिनांक 21 नवम्बर 2019 के अंक में प्रकाशित होने पर उनका नाम "श्री सुरेन्द्र कुमार" के स्थान पर "श्री सुरेन्द्र कुमार झाझड़िया" किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

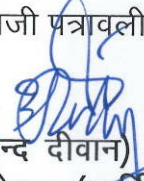

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-303) अलेसे-I/721

दिनांक:- 18/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
2. आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार झाझड़िया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय-आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)